

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302006

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III /2118

दिनांक:- 25.07.2025

आदेश संख्या:- 363 / 2025-26

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को कॉलम संख्या 05 में अंकित सम्बन्धित हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा) में दिनांक 28.07.2025 से 12.09.2025 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के सात सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 28.07.2025 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

S.No	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Training Centre
1	2	3	4	5
1.	701635	MONA KUMAWAT	TREASURY OFFICER - 1096 , TREASURIES AND ACCOUNTS , BEAWAR	H.C.M. RIPA UDAIPUR
2.	718980	POOJA SHEKHAWAT	DY. DIRECTOR - 4496 , EDUCATION (SECONDARY) , CHURU , CHURU	H.C.M. RIPA JAIPUR
3.	723966	ANAMIKA SINGH RATHORE	CDPO (CITY) - 22928 , INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES , CHURU , CHURU	H.C.M. RIPA BIKANER
4.	735377	MONIKA DHAKA	TREASURY OFFICER - 1115 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JHUNJHUNU , JHUNJHUNU	H.C.M. RIPA JAIPUR
5.	745342	RAHUL KUMAR SHARMA	X. EN RMC I - 24675 , CAD AND ADP DEPARTMENT , KOTA , KOTA	H.C.M. RIPA KOTA
6.	745939	JYOTI BALA NAPIT	ASTT. DIRECTOR PROSECUTION - 14534 , LAW DEPARTMENT , SAWAI MADHOPUR SAWAI MADHOPUR	H.C.M. RIPA KOTA
7.	759837	RAVINA MEENA	CBEO - 8000532 , EDUCATION (ELEMENTARY) , LAWAN , DAUSA	H.C.M. RIPA JAIPUR
8.	717487	HEENA	MEDICAL OFFICER CHC - 22972 , MEDICAL AND HEALTH , PHEPHANA , HANUMANGARH	H.C.M. RIPA BIKANER
9.	745752	PRIYANKA SONI	MEDICAL OFFICER CHC - 23877 , MEDICAL AND HEALTH , KHATUSHYAMJI , SIKAR	H.C.M. RIPA JAIPUR

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 23.07.2025 द्वारा आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र (कॉलम संख्या 05) में संशोधन कर कॉलम संख्या 06 के अनुसार नव प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है:-

S.No.	Roll No.	Name Of Junior Accountant	Name Of Present Office	Previously Alloted Training Centre	Revised Training Centre
1	2	3	4	5	6
1.*	722226	HAWA SINGH	TREASURY OFFICER - 1112 , TREASURIES AND ACCOUNTS , JAISALMER , JAISALMER	H.C.M. RIPA JODHPUR	H.C.M. RIPA BIKANER
2.*	723582	JAGRITI	PRINCIPAL, MEDICAL COLLEGE - 8000463 , MEDICAL EDUCATION , CHURU , CHURU	H.C.M. RIPA BIKANER	H.C.M. RIPA JAIPUR
3.	762881	AKSHAY SHARMA	SECRETARY - 1000329 , JDA (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	H.C.M. RIPA UDAIPUR	H.C.M. RIPA JAIPUR

4. *	733657	DINESH KUMAR GURJAR	REGISTRAR - 1000494, KOTA OPEN UNIVERSITY (EX CADRE POSTS), KOTA KOTA	H.C.M. RIPA KOTA	H.C.M. RIPA JAIPUR
------	--------	---------------------------	--	---------------------	-----------------------

उक्त प्रशिक्षण की अवधि सात सप्ताह (छः सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण गैर-आवासीय है, यदि प्रशिक्षणार्थी आवास/बोर्डिंग आदि का लाभ लेना चाहे तो आवास व खान-पान आदि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध रहेगी। यद्यपि कार्यदिवसों हेतु मध्याह्न भोजन (Working Lunch) सभी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त प्रशिक्षण अवधि में यात्रा भत्ता नियम के अध्याय XIII के नियम 34(2) अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा। परन्तु मील भत्ता नियमानुसार देय होगा। किन्तु क्रम संख्या 2 एवं 1*, 2*, तथा 4* पर अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर मनोनयन किये जाने के कारण मील भत्ता देय नहीं होगा।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।


 (बृजेश किशोर शर्मा)
 निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव


क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले.प्रशि./2025/अलेसे-III / 2118
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 25.07.2025

1. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी (कनि. लेखाकार प्रशिक्षण), हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन मार्ग, जयपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालयों उदयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करावें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
 को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा

उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नही करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)